UPRB040071512019

न्यायालय Addl Civil Judge(Jr Div) VIII, Rae Bareli

पीठासीन अधिकारी– मनु गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–JO Code– UP03561

Cri. Case/3201/2019

शासन ––– अभियोगी।

बनाम

1. मो० निसार पुत्र मो० नसीम (पति)
2. मो० नसीम पुत्र मो० नसीर (ससुर)
3. नफीस फातिमा पत्नी मो० नसीम (सास)
4. जीनत फातिमा पुत्री मो० नसीम (नंद)
5. मो० सलीम पुत्र मो० नसीम (देवर)

निवासीगण– 1/2651 आलोक नगर कल्याणपुर थाना गुडवा जिला लखनऊ।

––अभियुक्तगण।

मौखिक साक्ष्य	
पी०डब्लू० 1	एजाज अहमद
पी०डब्लू० 2	पीड़िता

अपराध संख्या– 373/2019
धारा–498A, 323, 504, 506
भा0 द 0 स 0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व
धारा 4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम
थाना– डीह,
जिला–रायबरेली।

निर्णय

1) प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम का विचारण पुलिस थाना डीह द्वारा प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 भा0 द 0 स 0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 के आधार पर किया जा रहा है।

2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता की शादी दिनांक 28.11.2013 को मुस्लिम रीति रिवाज से मो० निसार पुत्र मो० नसीम निवासी उपरोक्त से हुई थी। हैसियत के मुताबिक दान–दहेज दिया था। शादी के 10 दिन बाद से ही पैसे की माँग होने लगी। आये दिन वादी की पुत्री को घर में ससुर मो०नसीम पुत्र मो० नसीर (ससुर), नफीस फातिमा पत्नी मो०

नसीम (सास), जीनत फातिमा पुत्री मो० नसीम (नंद), मो० सलीम पुत्र मो० नसीम (देवर), मो० निसार पुत्र मो० नसीम (पुत्र), सबनम फातिमा पुत्री मो० नसीम (नंद), गुलाम हैदर (दामाद) आये दिन पैसे की माँग करते रहे। मारना–पीटना, भूखा रखकर कमरे में बंद करके मारते–पीटते थे और पुत्री को माँ बाप से बात नहीं करने देते थे। उसका मोबाइल सिम तोड़ दिया। मोटर साइकिल व नकद कैश 3,50,000 रूपये व चार पहिया की गाड़ी की माँग किया। दिनांक 18.08.2019 को वादी मुकदमा एजाज अहमद, मो० मंसूर अली, हसीना बानो, रूही, अफसाना, नेहा फरहीन, फैयाज अहमद, नबाव हुसैन, मुमताज, कल्लू प्रधान, ग्राम डीह जिला रायबरेली, नबाव हुसैन मेंहदी दीन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ, निहाल अहमद के साथ जब आलोक नगर थाना डीह जनपद रायबरेली पहुंचे तो पुत्री के पति व उसके परिवार वाले उपरोक्त दहेज की माँग दौहराने लगे तथा लड़की का नाम लेकर तीन बार तलाक दे दिया और कहा कि अपनी लड़की की जिंदगी चाहते हो तो दोबारा पंचायत की कोशिश की तो गोली मार देंगे तथा गंदी–गंदी गालियां दी।

3) वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की प्राथमिकी संख्या 373/2019 धारा 498A, 323, 504, 506 भा0द0सं0 व 3/4 डी०पी०एक्ट० एवं धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 दर्ज की गयी। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गयी। विवेचना के पश्चात् अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम के विरूद्ध आरोप पत्र सं० 45/20 मु0अ0सं0 373/2019 धारा 498A, 323,504, 506 भा0द0स0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2021 को संज्ञान लिया गया।

4) अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और उसने अपनी जमानत करायी। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2023 को अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम के विरूद्ध आरोप अन्नृतगत धारा 498A, 323,504, 506 भा0द0स0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

5) अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पी0डब्लू0–01 के रूप में एजाज अहमद व पी0डब्लू0–02 के रूप में पीड़िता को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया जिसके उपरांत साक्ष्य अभियेाजन समाप्त किया गया।

6) अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०स० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

7) न्यायालय द्वारा सहायक अभियेाजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8) साक्ष्य विश्लेषण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख आवश्यक है। माननीय न्यायालय ने सच्चा सिंह बनाम पंजाब राज्य

(2003) एस.सी.सी. 643 में कहा है कि "Falsus in uno Falsus in Omnibus" अर्थात एक असत्य तो सब असुत्य का सिद्धांत लागू नहीं होता है. न्यायालय को भूसे से अनाज पृथक कुराना होगा। सोने लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 760, में प्रतिपादित किया है कि हितबद्ध एवं शत्रुता के आधार पर साक्षी के साक्ष्य को नाकारा नहीं जा सकता. प्ररंतु इस प्रकार के साक्षी के बयानों के विश्लेषण में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

9) प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0 डब्ल्यू0–01 एजाज अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, " मैंने अपनी पुत्री का निकाह 28.11.2018 को मुस्लिम रीति रिवाज से मो० निसार के साथ की थी। मैंने अपनी हैसियत के अनुसार खर्च किया था। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी पुत्री को उसके पति व ससुराल वालों से काफी बातों को लेकर मनमुटाव हो गया था। इसके पति ने उसका मोबाइल व सिम तोड़ दिया था, जिससे वह हम लोगों से बात नहीं कर पाती थी। हम लोग विदा कराने गये तो विदाई नहीं किया गया। जिससे हम लोग व मेरी लड़की काफी परेशान हो गये। इन्हीं सभी बातों से नाराज होकर लोगों के बहकावे में आकर मो० निसार (पति) देवर मो० सलीम, ननद जिनत फातिमा, सास नफीस फातिमा व ससुर मो० नसीर के विरूद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारने–पीटने, गाली–गलौज देने व जान से मारने की धमकी देने व दहेज की माँग तथा तलाक का मुकदमा का प्रार्थना पत्र थाने पर दिया जबकि इसमें हमारा ऐसी कोई घटना कभी नहीं की गयी। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर को देखकर गवाह ने कहा वही तहरीर है जिसे मैने थाने पर दिया। जिसपर प्रदर्श क 1 डाला गया। दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। न्यायालय द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

10) सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी, जिसमें उसे 161 द०प्र०स० का बयान पढ़कर सुनाया गया जिस पर गवाह ने कथन किया कि " दारोगा जी को मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। दारोगा ने कैसे लिख दिया मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है अभियुक्तगणों से मेरा समझौता हो गया है। हमारा आपस में लेन–देन हो गया है। इसलिए मैं आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं। यह कहना गलत है समझौता हो जाने के कारण व आगे मुकदमा न लड़ने तथा लड़की राजी–खुशी मायके में रहने के कारण मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।"

11) प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0 डब्ल्यू0–02 वादिनी/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि" मेरा निकाह 28.11.2018 को मो० निसार के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही मेरा मन सुसराल में नहीं लग रहा था। सुसराल वालों से मेरा मनमुटाव हो गया था। इन्हीं सब बातों से नाराज होकर मेरे पिताजी ने प्रार्थना पत्र दे दिया था। मुझसे मेरे पति, सास–ससुर, देवर व ननद ने कभी किसी दहेज की माँग नहीं की न ही कोई मार–पीट की, न ही कोई गाली–गलौज किया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी, न ही कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। दारोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिखा था।" न्यायालय द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

12) सहायक अभियोजनकारी द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी जिसमें उसे 161 द०प्र०स० का बयान पढ़कर सुनाया गया जिसके गवाह ने कथन किया की " दारोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, कैसे लिख दिया नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि हमारा आपस में समझौता हो गया। रिश्तेदारों के द्वारा हमारा आपस में लेन–देन करा दिया गया और हमारा कोई विवाद नहीं है। इसलिए आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रही हूं। यह कहना सही है कि आज मैं बयान दे रही हूं, स्वतंत्र इच्छा और बिना दबाव के दे रही हूं।"

13) इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन को कोई बल प्राप्त नहीं होता, तथाकथित घटना संदिग्ध हो जाती है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

14) उपर्युक्त परीक्षित साक्षीगण के बयान के विश्लेषण के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा पेश किये गयें साक्षीगण व पी0 डब्ल्यू0–01 एजाज अहमद व पी0 डब्ल्यू0–02 वादिनी/पीड़िता ने न तो मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और न ही सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में समर्थन किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण की प्रति परीक्षा भी की गयी किन्तु प्रति परीक्षा के दौरान भी अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया जा सका है जिससे अभियेाजन कथानक को कोई बल मिलता हो। अन्य किसी भी गवाह को अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार अवश्य ही किया गया है परंतु मात्र इसके आधार पर अभियुक्तगण के दोषी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। पत्रावली पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

15) जब तक अभियोजन पक्ष अपने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध पूर्ण रूप से स्थापित न कर दे, तब तक अभियुक्त की निर्दोषिता की जाती है:-

"The presumption of innocence, referred to by the latin expression Ei incumbit probatio qui dicit, n te on qui negat (the burden of proof is on he who declares, not on he who denies), is the principle that one is considered innocent until proven guilty. In many nations, presumption of innocence is a legal right of the accused in a criminal trial. The burden of proof is thus on the prosecution, which has to stand on its own legs and can derive no advantage from weakness of defence."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Abbas v/s State of Kerala 2001(42) ACC 915 SC के मामले में कहा है कि "Court can not convict an accused only on such probability or suspicion how ever strong it may be."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Daulat Ram v/s State of Punjab 1997(34) ACC 839 के मामले में कहा है कि "Prosecution has to stand on its own legs and can derive no advantage from weakness of defense."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने के०पी० थिमप्पा गोव्डा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2011 इला०सि०ला० जर्नल पेज 1040 में यह कहा है कि– In criminal cases, the rule is that the accused is entitled to the

benefit of doubt. If the court is of the opinion that on the evidence two views are reasonably possible, one that the appellant is guilty, and the other that he is innocent, then the benefit of doubt goes in favour of the accused.

16) आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार अभियुक्त को उस पर आरोपित आपराधिक कृत्य के लिए दोषसिद्ध करने हेतु अभियोजन को अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। उपरोक्त परिचर्चा एवं विश्लेषण से यह धारित करने का आधार पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 498A, 323,504, 506 भा0 द 0 स 0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 को युक्ति–युक्त संदहे से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम साक्ष्य के अभाव में आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मो० निसार, मो० नसीम, नफीस फातिमा, जीनत फातिमा व मो० सलीम को मु0 अ 0 संख्या 373/2019 अन्तर्गत धारा 498A, 323,504, 506 भा0 द 0 स 0 व 3/4 डी०पी० एक्ट व धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश 2019 थाना डीह जिला रायबरेली के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में दाखिल बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के प्रावधानों के अंतर्गत बंधपत्र व जमानतपत्र दाखिल कर दिये गये है जो छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

<u>दिनांक.22.08.2025</u> **(मनु गुप्ता)**
अष्टम अपर सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०
रायबरेली।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनांक. 22.08.2025</u> **(मनु गुप्ता)**
अष्टम अपर सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०
रायबरेली।